## न्यायालय – अपर सेशन न्यायाधीश कामां, जिला डीग (राज0)

**पीठासीन अधिकारी : डॉ. मनोज तिवारी, (जिला न्यायाधीश संवर्ग)**

**विविध आपराधिक प्रकरण संख्या : 856/2026**
**सीआईएस नंबर : 831/2026**

**सीएनआर नंबर : RJDE080010192026**

**हासम उर्फ काड़ा पुत्र दीनू, निवासी ग्राम कनवाड़ी, पुलिस थाना पहाड़ी, जिला डीग (राजस्थान)।**

**----प्रार्थी/अभियुक्त**

**ब ना म**

**राजस्थान राज्य, जरिए अपर लोक अभियोजक, कामां, जिला डीग।**

**–अप्रार्थी**

**जमानत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 125/2025 पुलिस थाना पहाड़ी, अपराध अन्तर्गत धारा 121(1), 132, 109(1), 303(2), 3(5) भारतीय न्याय संहिता व धारा 3, 5/25(6) आयुध अधिनियम, सैशन प्रकरण सं. 89/2025 बउनवानी हासम उर्फ काड़ा।**

**उपस्थिति :–**

1. श्री इरफान अली, विद्वान अधिवक्ता वास्ते प्रार्थी/अभियुक्त।
2. श्री राजेन्द्र प्रसाद शर्मा, विद्वान अपर लोक अभियोजक वास्ते राज्य।

**आ दे श** **दिनांक : 09.06.2026**

**1.** यह प्रथम जमानत आवेदन प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से अन्तर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया, जिसकी नकल अपर लोक अभियोजक को दिलाई गई एवं संबंधित सेशन पत्रावली तलब की गई। बहस उभय पक्ष सुनी गई।

**2.** विद्वान अधिवक्ता, प्रार्थी/अभियुक्त के दौराने बहस तर्क रहे हैं कि प्रार्थी/अभियुक्त का आरोपित अपराध से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है, उसे इस प्रकरण में कतई झूंठा फंसाया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त से किसी प्रकार की कोई बरामदगी होना शेष नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त न्यायालय क्षेत्राधिकार का स्थाई निवासी है, ऐसी सूरत में अभियुक्त के फरार होने का कोई अंदेशा नहीं है और ना ही गवाहान को टैम्परविद किये जाने का कोई अंदेशा है। प्रार्थी/अभियुक्त न्यायालय द्वारा लगायी गई शर्तों की पालना में कोई चूक नहीं करेगा। अन्त में प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने का निवेदन किया।

**3.** इसके विपरीत विद्वान अपर लोक अभियोजक द्वारा उक्त तर्कों का विरोध करते हुए तर्क दिया कि हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध धारा **121(1), 132, 109(1), 303(2), 3(5) भारतीय न्याय संहिता व धारा 3, 5/25(6) आयुध अधिनियम** के तहत गम्भीर अपराधो का आरोप प्रमाणित पाए जाने पर आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया है। अन्त में प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत आवेदन अस्वीकार कर खारिज किये जाने का निवेदन किया।

**4.** प्रकरण में दिनांक 18.06.2025 को परिवादी श्री योगेन्द्र सिंह पुलिस निरीक्षक थानाधिकारी पुलिस थाना पहाड़ी ने तहरीरी रिपोर्ट में अंकित अभियुक्तगण के विरूद्ध अपराध बनना पाये जाने पर पुलिस थाना पहाड़ी पर मु.नं. 125/2025 धारा 109(1), 121(1), 132, 3(5) भारतीय न्याय संहिता व धारा 3, 5/25(6) आयुध अधिनियम में दर्ज कराये जाने पर अनुसंधान प्रारंभ किया गया एवं दौराने अनुसंधान प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध धारा 121(1), 132, 109(1), 303(2), 3(5) भारतीय न्याय संहिता व धारा 3, 5/25(6) आयुध अधिनियम में जुर्म प्रमाणित पाये जाने पर उसको गिरफ्तार किया गया।

**5.** केस डायरी में उपलब्ध रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध हस्तगत प्रकरण के अतिरिक्त दर्ज आपराधिक प्रकरणों की सूची निम्न प्रकार है–

| क्र. सं. | मुकदमा नंबर | थाना | अन्तर्गत धारा | नतीजा |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 28/2012 | 3, 4, 5/8 आर.बी.ए. एक्ट | पहाड़ी | 68/12 |
| 2. | 26/2014 | 5/8 आर.बी.ए. एक्ट | कैथवाड़ा | 61/14 |
| 3. | 65/2014 | 353, 307, 34 भा.दं.सं., 3, 5/8 आर. बी.ए. एक्ट, 16/54 एक्साईज एक्ट | कैथवाड़ा | –– |
| 4. | 206/2014 | 5/8 आर.बी.ए. एक्ट, 3/25, आर्म्स एक्ट व 16/54 एक्साईज एक्ट | जुरहरा | 116/14 |
| 5. | 390/2014 | 16/54 एक्साईज एक्ट, 11(4) पशु क्रूरता अधि. | अरावली विहार, अलवर | –– |
| 6. | 190/2017 | 147, 148, 149, 342, 302, 201 भा.दं.सं. | पहाड़ी | –– |
| 7. | 46/2017 | 3, 5/8 आर.बी.ए. एक्ट | गोविन्दगढ़, अलवर | 66/18 |
| 8. | 45/2017 | 379, 411, 307 भा.दं.सं. , 5/8 आर. बी.ए. एक्ट, 19/54 आब. अधि. | कैथवाड़ा | –– |
| 9. | 25/2015 | 3, 5, 8, 10 आर.बी.ए. एक्ट | पहाड़ी | 130/15 |
| 10. | 40/2018 | 3, 5, 6/8 आर.बी.ए. एक्ट | गोविन्दगढ़, अलवर | 175/18 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 11. | 257/2018 | 332, 353, 307, 379, 411 भा.दं.सं., 3, 5/8 आर.बी.ए. एक्ट, 16/54 आब. अधि. व 3/25 आर्म्स एक्ट | कामां | 134/18 |
| 12. | 473/21 | 53क, 53ख, राज. कारागार अधि. | सेवर | —— |
| 13. | 28/2022 | 3, 5/8 आर.बी.ए. एक्ट | पहाड़ी | —— |
| 14. | 344/2023 | 353, 307, 34 भा.दं.सं. | पहाड़ी | जैर तफ्तीस |
| 15. | 194/2024 | 147, 148, 149, 353, 387, 413 भा.दं.सं., 3,5/8 आर.बी.ए. एक्ट, 3/25 आर्म्स एक्ट व 3 पी.डी.पी.पी. एक्ट | पहाड़ी | 110/24 |
| 16. | 05/2022 | 186, 332, 353, 307, 427 भा.दं.सं. व 25, 54, 59 आर्म्स एक्ट, 5/13(2)17 एचजीएस व 8, 11, 59, 60 ई.सी. एक्ट | फिरोजपुर झिरका | चालान न्यायालय |
| 17. | 36/2024 | 5/13(2)17 एचजीएस व जीएस एक्ट, 120बी भा.दं.सं. | फिरोजपुर झिरका | चालान न्यायालय |
| 18. | 34/2023 | 379, 34 भा.दं.सं. | बिलासपुर, गुरूग्राम | – |

**6.** उभय पक्षों के तर्कों पर मनन किया एवं न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि हस्तगत प्रकरण में 45,000/– रुपये के ईनामी प्रार्थी/अभियुक्त को पुलिस जाब्ता द्वारा पकड़ने का प्रयास करने पर अन्य सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर पुलिस जाब्ते को जान से मारने की नियत से आग्नेयास्त्र से फायर किए जाने व लोक सेवक को अपने कर्तव्य के निर्वहन से भयोपरत करने, चोरी करने संबंधी के धारा **121(1), 132, 109(1), 303(2), 3(5) भारतीय न्याय संहिता व धारा 3, 5/25(6) आयुध अधिनियम** के अपराधों के प्रमाणित पाए जाने पर आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया है, जो कि गम्भीर प्रकृति के हैं। प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध नामजद रिपोर्ट दर्ज है। प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध हस्तगत प्रकरण के अलावा समान प्रकृति के 11 अन्य प्रकरणों व हत्या जैसे गम्भीर अपराधों के आरोपों सहित कुल 18 अन्य आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध होने बाबत् अभिलेख पत्रावली पर संलग्न है, जिससे प्रार्थी/अभियुक्त का आदतन आपराधिक प्रवृति का होना दर्शित होता है, जिससे उसके द्वारा पुनः अपराध कारित किए जाने की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है। इस संबंध में **माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने न्यायिक दृष्टान्त नीरू यादव बनाम उत्तरप्रदेश राज्य (2014) 16 एस. सी.सी. 508** में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि **"अभियुक्तगण को जमानत का लाभ प्रदान करते समय न्यायालय को उसकी आपराधिक पृष्ठभूमि एवं अन्य परिस्थितियों पर भी**

**विचार करना चाहिए।"** प्रार्थी/अभियुक्त कुख्यात अपराधी है, जिस पर 45,000/– रुपये की राशि का ईनाम भी रखा गया था। प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा राजकार्य में बाधा पहुॅचाते हुए आपराधिक बल प्रयोग कर पुलिस जाब्ते को जान से मारने का प्रयास किया गया है। यदि इस प्रकार का अपराध कारित करने वाले अपराधियों को जमानत सुविधा का लाभ दिया जाता है तो इससे निश्चित रूप से कानून व्यवस्था को चुनौती देने वाले एवं राजकार्य में व्यवधान पैदा करने वाले अपराधियों के हौंसले बुलन्द होंगे। अतः प्रकरण के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किए बिना प्रकरण के समस्त तथ्यों, परिस्थितियों, अपराध की गंभीरता एवं प्रार्थी/अभियुक्त की आपराधिक पृष्ठभूमि को दृष्टिगत रखते हुये उसे जमानत पर रिहा किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

## आ दे श

**5.** फलस्वरूप प्रार्थी/अभियुक्त **हासम उर्फ काड़ा पुत्र दीनू, निवासी ग्राम कनवाड़ी, पुलिस थाना पहाड़ी, जिला डीग (राजस्थान)** की ओर से प्रस्तुत यह जमानत आवेदन अंतर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एतद्द्वारा अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

**6.** माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा SMW (Cri) No. 4/2021 में पारित आदेश दिनांकित 31-01-2023 की पालना में आदेश की प्रति अभियुक्त को सूचित करने हेतु संबंधित कारागृह को जरिये ई–मेल भिजवाई जावे।

(डॉ. मनोज तिवारी)
अपर सेशन न्यायाधीश,
कामां, जिला डीग

**7.** आदेश आज दिनांक **09.06.2026** को विवृत न्यायालय में लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर सुनाया गया।

(डॉ. मनोज तिवारी)
अपर सेशन न्यायाधीश,
कामां, जिला डीग